संख्या-139/2022/001-1227-24-1-2022-96-2015 TC

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2022

विषयः-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-884/अधि0नि0 (वित्त) /निधि-।।/ आई0पी0डी0एस0/399(एफ)/15-16, दिनांक 31 अगस्त, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा विभाग के बजट में अनुदान संख्या-09 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4801-05-190-04-30 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 161,73,00,000/- (रूपये एक सौ इकसठ करोड़ तिहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 107,86,50,000/- (रूपये एक सौ सात करोड़ छियासी लाख पचास हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 19,97,00,000/- (रूपये उन्नीस करोड़ सत्तान्नवे लाख मात्र) को समायोजन के माध्यम से स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि० द्वारा नकद न करके पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

(2) प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत अनुदान के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि को लेखा शीर्षक 0801-बिजली -06-ग्रामीण विद्युतीकरण- 800-अन्य प्राप्तियां -01- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि० के अंशपूंजी हेतु भारत सरकार से प्राप्ति के अंतर्गत जमा की जायेगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,97,00,000 (रुपये उन्नीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801051900400 समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण कार्यों हेतु अंशपूंजी (के.60/रा.10/नि.30-के.) **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-87-X-2022-23-दिनांक:26-9-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सत्यवान सिंह
उप सचिव।

संख्या-139 /2022/001-1227-24-1-2022-96-2015 TC, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
2- समाज कल्याण विभाग, बजट प्रकोष्ठ।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
5- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सत्यवान सिंह
उप सचिव।